बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं0- 4567460 पटना, दिनांक 08/09/2025

ग्रा0वि0-R-503/112/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-192465)

श्री सिद्धार्थ कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-102022), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काराकाट (रोहतास) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर (बक्सर) के विरूद्ध काराकाट प्रखंड के सोनवर्षा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जरूरतमंद लाभुकों का चयन नहीं करने एवं पूर्व से पक्का मकान वाले परिवारों का नाम सूची में जोड़कर राशि का भुगतान करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक-1409 दिनांक-04.07.2022 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ । जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कारांकाट (रोहतास) के पत्रांक-383 दिनांक-04.03.2023 द्वारा श्री सिद्धार्थ का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ ।

जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री सिद्धार्थ कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत आरोपों की वृहत जांच हेतु संकल्प संख्या-1860166 दिनांक-23.06.2023 द्वारा श्री सिद्धार्थ कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-3200240 दिनांक-23.09.2024 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,2005 के नियम-18(3) के तहत श्री सिद्धार्थ से विभागीय पत्रांक-3265485 दिनांक-16.10.2024 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी । कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर, बक्सर के पत्रांक-1413 दिनांक-11.11.2024 द्वारा श्री सिद्धार्थ का लिखित अभ्यावेदन प्राप्त है ।

श्री सिद्धार्थ कुमार के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री सिद्धार्थ से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री सिद्धार्थ कुमार के विरूद्ध लगाये सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है । श्री सिद्धार्थ कुमार द्वारा लिखित अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत संचालन पदाधिकारी के अभिमत से सहमत होते हुए श्री सिद्धार्थ कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-102022), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काराकाट (रोहतास) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर (बक्सर) के विरूद्ध "असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक" की शास्ति अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश दिया जाता है कि श्री सिद्धार्थ कुमार की चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

3.9.25

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Section-014\Year-2025\Office Order-2025\Notification(2025)-12.doc-

का०परि०बही

ज्ञापांक:- 4567460 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 08/09/2025

ग्रा0वि0- R-503/112/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-192465)

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- यथोक्त।

सरकार के संयुक्त सचिव

स्पीड पोस्ट/ ई-मेल

ज्ञापांक:- 4567460 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 08/09/2025

ग्रा0वि0- R-503/112/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-192465)

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) एवं बक्सर/उप विकास आयुक्त, रोहतास (सासाराम) एवं बक्सर /जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) एवं बक्सर /प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 एवं 06/श्री सिद्धार्थ कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-102022), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काराकाट (रोहतास) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर (बक्सर)/आई०टी०मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4567460 / पटना, दिनांक :- 08/09/2025

ग्रा0वि0- R-503/112/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-192465)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Section-014\Year-2025\Office Order-2025\Notification(2025)-12.doc-